

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

१.समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति
२.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस०पी०एम०यू०/आर.बी.एस.के./२/२०२४-२५/१५५९-२

दिनांक: १०-०६-२०२४

विषय: वर्ष २०२४-२५ में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए इसका विस्तार नगरीय क्षेत्र में भी किया गया है। तदनुसार विन्हित ३१ जनपदों में ५६ नगरीय मोबाइल हेल्थ टीमों के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम के लिए उपकरण, वाहन विजिविलिटी प्रोटोकॉल एवं वाहन की व्यवस्था हेतु धनराशि क्रमशः एफ०एफ०आर० कोड १३४.१, १३४.२ एवं १३४.३ में आवंटित की जा रही है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिसका उपयोग दिये गये मानकानुसार किया जाना है। गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि जनपद के एलोकेशन/डैप का अंश है।

गतिविधिवार मानक का विवरण निम्नवत है-

एफ.एम.आर कोड	गतिविधि	वित्तीय मानक
RCH-3.21.OOC.1 (New FMR-21.1)	मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था	रु० ३३०००/वाहन/माह की दर से १२ माह हेतु (संलग्नक-१)
RCH-3.21.OOC.2 (New FMR-21.2)	सपोर्ट फॉर आर.बी.एस.के. सी०यू०जी० (इन्टरनेट कनेक्शन एण्ड रेंटल)	रु० ३००/माह/टीम की दर से १२ माह हेतु (संलग्नक-१)
RCH-3.21.OOC.4 (New FMR-21.3)	आर०बी०एस०के० एम.एच.टी. हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट /कन्टिजेन्सी	रु० २०००/टीम वार्षिक की दर से (संलग्नक-१)
RCH-3.21.IEC.1 (New FMR-21.5)	आर.बी.एस.के. कार्ड एवं रजिस्टर का मुद्रण	रु० १.५०/आर०बी०एस०के० कार्ड की दर से रु० १००.००/आर०बी०एस०के० रजिस्टर की दर से (संलग्नक-१)
RCH-3.21.PME (New FMR-21.8)	आर.बी.एस.के. कन्वर्जेन्स एवं मॉनीटरिंग मीटिंग	रु० १०००/ब्लाक/समीक्षा बैठक की दर से जनपद स्तर पर ३ समीक्षा बैठक हेतु रु० १०००.००/ब्लाक की दर से माइक्रोप्लान बैठक हेतु (संलग्नक-१)
RCH-3.21.EQ (New FMR-21.12)	मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरणों की व्यवस्था	रु० २३००/टीम की दर से उपकरणों की मरम्मत हेतु (संलग्नक-१)
RCH-3.22.OOC.1 (New FMR-22.1)	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी०ई०आई०सी० सेन्टर	रु० ३०,०००/माह/डी०ई०आई०सी० सेन्टर की दर से १२ माह हेतु (संलग्नक-१)
RCH-3.22.OOC.1 (New FMR-22.15 & 194.30)	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी०ई०आई०सी० मैनेजर	रु० १८,००० वार्षिक/डी०ई०आई०सी० मैनेजर की दर से (संलग्नक-१)
RCH-3.22.OOC.2	डी०ई०आई०सी० मैनेजर हेतु	रु० ३००/माह/डी०ई०आई०सी० मैनेजर की दर से

(New FMR-22.2 & 194.31)	फोन एवं इन्टरनेट चार्ज	12 माह हेतु (संलग्नक-1)
RCH-3.31.OOC (New FMR-31.2)	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट ए0एम0यू0 अलीगढ़	रु0 30,000/माह की दर से 12 माह हेतु (संलग्नक-1)
HSS(U)2.134.EQ.1 (New FMR-134.1)	नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरण की व्यवस्था	रु0 15000/टीम की दर से (संलग्नक-1) -विगत वर्ष में उपलब्ध धनराशि से नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु चिन्हित उपकरण क्रय कर लिये गये हों तो वर्तमान में क्रय करने की आवश्यकता नहीं।
HSS(U).2.134 (New FMR-134.3)	नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था	रु0 33000/वाहन/माह की दर से 12 माह हेतु (संलग्नक-1)
HSS.11.193.PME.9.1 New FMR-194.PME.9.1	डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट	डी0ई0आई0सी0 मैनेजर को क्षेत्र भ्रमण हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में रु0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु (मानव संसाधन अनुभाग द्वारा धनराशि जनपदों को आवंटित)।

उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि के व्यय के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2023-24/1007-2 दिनांक 08.05.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें (प्रति संलग्न)।

एफ.एम.आर कोड	गतिविधि	वित्तीय मानक
RCH-3.21.OOC.1 (New FMR-21.6)	आर0बी0एस0के0 प्रोग्राम बैनर	रु0 200/ प्रति बैनर की दर से 2 बैनर प्रति टीम (संलग्नक-1)
RCH-3.21.IEC.3 (New FMR-21.7)	आर0बी0एस0के0 वाहन विजिविलिटी प्रोटोकॉल	रु0 4000.00 प्रति वाहन की दर से (संलग्नक-1)
RCH-3.22.IEC.2 (New FMR-22.6)	प्रसव इकाई हेतु बर्थ डिफेक्ट्स पोस्टर का मुद्रण	रु0 20.00 प्रति पोस्टर की दर से (संलग्नक-1)
HSS(U).2.134.IEC.1 (New FMR-134.2)	आर0बी0एस0के0 नगरीय वाहन विजिविलिटी प्रोटोकॉल	रु0 4000.00 प्रति वाहन की दर से (संलग्नक-1)

उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि के व्यय के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2022-23/4833-2 दिनांक 03.10.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें (प्रति संलग्न)।

रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टरशियरी केयर- FMR Code- 22.3

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं की निःशुल्क शल्य चिकित्सा हेतु निम्न तालिका के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है (संलग्नक-1)।

Sl.No.	District	Name of Medical college	Rs. (in lakh)
1	Agra	S.N. Medical College, Agra	10.00
2	Aligarh	JN Medical College & Hospital AMU	300.00
3	Budaun	Government Medical College	5.00
4	Etawah	RIMS, Safai Etawah (UPUMS)	10.00
5	GB Nagar	SSPHPGTI GB Nagar	90.00
6	Gorakhpur	B.R.D. Medical College, Gorakhpur	5.00
7	Jhansi	M.L.B. Medical College, Jhansi	25.00

Sl.No.	District	Name of Medical college	Rs. (in lakh)
8	Kanpur Nagar	L.P.S. HRS Kanpur Nagar	5.00
9	Lucknow	K.G.M.U. Lucknow	15.00
10	Lucknow	SGPGI Lucknow	5.00
11	Lucknow	Dr. RML IMS Lucknow	50.00
12	Meerut	L.L.R.M. Medical College, Meerut	5.00
13	Prayagraj	M. L. N. Medical College	10.00
14	Sitapur	Regional Eye Institute Sitapur	30.00
15	Varanasi	Sir Sundarlal Hospital, BHU	5.00
		Total	570.00

- कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित स्वास्थ्य दशाओं के शल्य चिकित्सा पैकेज के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित की गयी है। पैकेज में शल्य क्रिया, परीक्षण (Pre and post investigation) शुल्क सहित सम्मिलित है। शल्य चिकित्सा हेतु विभिन्न लाजिस्टिक्स का प्रबंधन मेडिकल कालेज/संस्थान में प्रचलित कय नियमों के अनुसार किया जाना है। उपचार में होने वाले व्यय का भुगतान वास्तिक व्यय के आधार पर किया जाना है। अपेक्षित है कि व्यय की गई धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी के अनुसार संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान को धनराशि हस्तांतरित कर दें।

नोट:- राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान से भविष्य में आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग होने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य स्तर को मांग पत्र प्रेषित करने पर आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित की जा सकती है।

डी०ई०आई०सी० नोडल ट्रेनिंग सेन्टर हेतु आपरेशनल कॉस्ट- FMR Code- 22.5

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ए०एम०यू० अलीगढ़ में स्थापित डी०ई०आई०सी० नोडल ट्रेनिंग सेन्टर के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे- a) consumables, b) maintenance of training centre room, AMC/ CMC of equipment, inverter, Audiovisual system, battery backup C) Miscellaneous stationary, printing paper etc other routine articles हेतु वार्षिक एक मुश्त रु० 1.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है (संलग्नक-1)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि रु० 1.00 लाख की धनराशि जे०एन० मेडिकल कालेज ए०एम०यू० अलीगढ़ को हस्तांतरित कर दें।

डी.ई.आई.सी. हेतु उपकरण- FMR Code- 22.7

- कार्यक्रम के अन्तर्गत के०जी०एम०यू० लखनऊ में स्थापित डी०ई०आई०सी० हेतु रु० 30.89 लाख के उपकरण की व्यवस्था की जानी है। उपकरण कय के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेंगे (संलग्नक-1)।

डी.ई.आई.सी. इन्टिरियर डिजाइन- FMR Code- 22.9

- कार्यक्रम के अन्तर्गत के०जी०एम०यू० लखनऊ में स्थापित डी०ई०आई०सी० का इन्टिरियर डिजाइन किया जाना है, जिसके संदर्भ में Guidelines for Interior Design and Specifications of District Early Intervention Center (DEIC) April 2023 में दिये गये निर्देशानुसार मानक निर्धारित किया गया है। इस हेतु रु० 20.43 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है (संलग्नक-1)। डी०ई०आई०सी० के इन्टिरियर डिजाइन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बुकलेट "Resource Manual for EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE for DEIC under RBSK" का भी सहयोग लिया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा रु० 20.43 लाख की धनराशि के०जी०एम०यू० लखनऊ को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है।

✍

✍

बर्थ डिफेक्ट्स बुकलेट फॉर आशा- FMR Code- 23.8

- गृह आधारित नवजात देखभाल (एच0बी0एन0सी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा को जीवन के पहले 42 दिनों तक निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार सभी नवजात शिशुओं का भ्रमण करना होता है। भ्रमण के दौरान नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों की पहचान हेतु प्रत्येक आशा को बर्थ डिफेक्ट्स बुकलेट दी जानी है। बुकलेट के मुद्रण हेतु रु0 25.00 प्रति बुकलेट (साईज- ए4, आर्ट पेपर, मल्टीकलर) की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है (संलग्नक-1)। प्रोटोटाइप संलग्न है।

मानव संसाधन-

क्रसं0	FMR code	मानव संसाधन	वित्तीय मानक
1	185.C.S0310 to 331	मोबाइल हेल्थ टीम	-कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संविदा पर तैनात समस्त कर्मियों के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2023-24 में दिये जा रहे मानदेय में 5 प्रतिशत वृद्धि कर आवंटित की जा रही है (संलग्नक-2)।
2	185.C.P260	डी0ई0आई0 मैनेजर	
3	185.C.S0348	Paediatric Speech Therapist at SGPGI Lucknow	नियमानुसार मानदेय व ई0पी0एफ0 का भुगतान किया जाये।
4	185.C.S0341 to 400	डी0ई0आई0 स्टॉफ	-ए0एम0यू0 अलीगढ़ द्वारा पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट में समस्त प्रस्तावित रिक्त पदों पर भर्ती कर इकाई को वांछनीय स्तर पर कियाशील किया जाना अपेक्षित है।
5	185.OOC.7	Paediatric Cardiac Evaluation and Cardiac Surgery Unit AMU staff Aligarh	-आउटसोर्स स्टॉफ के मानदेय हेतु आवंटित धनराशि में मानदेय वृद्धि, EPF, ESI, GST, Service charges (upto 10%) सम्मिलित है। नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जाये। -न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का नियमानुसार पालन किया जाए।

- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी के अनुसार मानदेय की धनराशि संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान को हस्तांतरित कर दें।

निम्नलिखित डी0ई0आई0सी0 पदों पर नवीन भर्ती हेतु बेसिक मानदेय में संशोधन किया गया है-

FMR code	DEIC HR	Basic Honoraria (Rs.)/Month
HSS.9.185.C.S0347	MO, MBBS	1,00,000/*

* बढ़ा हुआ बेसिक मानदेय केवल रिक्त पदों के लिए लागू है।

नोट-

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों हेतु मानदेय मद में अवांति धनराशि बजट मात्र है। मानदेय का भुगतान वास्तिक मानदेय निर्धारण के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।
2. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2023-24/1007-2 दिनांक 08.05.2023 का संदर्भ लें (संलग्न)।

ll

MS-1

3. समस्त भुगतान FAMS Software का उपयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जाएं ताकि बजट व्यय का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी एवं आर.बी.एस.के. कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोग करने के पश्चात् मासिक भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस.पी.एम.यू. अनुभाग एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन—

• चिन्हित 31 जनपदों हेतु विशेष निर्देश—

- नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों हेतु बैठने की व्यवस्था, सुसंगत स्थान यथा— जिला चिकित्सालय/नगरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/डी0पी0एम0यू0 कार्यालय में की जाए।
- नगरीय क्षेत्र के स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में टीम के भ्रमण हेतु टैक्सी परमिट वाहन, टीम हेतु उपकरणों एवं औषधियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।
- समस्त नव चयनित ए0एन0एम0 एवं फार्मासिस्ट को नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 एवं डी0ई0आई0सी0 मैनेजर द्वारा कार्यक्रम के लिए अभिमुखीकृत करते हुए शहर के निकटतम ब्लाक में कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीम के साथ कार्य की हैण्ड्स ऑन ट्रेनिंग सुनिश्चित की जाए।
- शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग से समन्वय से नगरीय स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का डाटा एकत्रित कर नगरीय स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के भ्रमण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 का माइक्रोप्लान तैयार कर लिया जाए।
- नगरीय क्षेत्रों की टीमों के लिए आयुष चिकित्सकों की तैनाती से पूर्व कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ऐसी मोबाइल हेल्थ टीम जिनमें 2 चिकित्सक तैनात हों, में से किसी एक चिकित्सक को कुछ समय के लिए एक नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम का प्रभार देते हुए टीमों का भ्रमण सुनिश्चित किया जाए।
- भ्रमण के दौरान चिन्हित 4Ds का संदर्भन नगरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/जिला चिकित्सालय में करते हुए उनका प्रबंधन कराया जाना है।
- जिस चिकित्सालय पर टीम तैनात की जायेगी, समस्त जन्मजात दोषों की स्क्रीनिंग कराने, रिपोर्टिंग रेफरल एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उक्त टीम की होगी।

• शेष 44 जनपदों हेतु निर्देश—

- चिन्हित 31 जनपदों के अतिरिक्त अन्य 44 जनपदों में पृथक से नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम की व्यवस्था नहीं है। अतः उक्त जनपदों के नगरीय क्षेत्र में स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पूर्व से तैनात ग्रामीण क्षेत्र की टीमों के सहयोग से ही किया जाना है।
- जनपद के नगरीय क्षेत्र की विशालता के अनुरूप आवश्यकतानुसार मोबाइल हेल्थ टीमों की व्यवस्था की जानी है।
- नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ अथवा कम आबादी वाले ब्लाक की ऐसी टीमों जिनके द्वारा उनके अपने क्षेत्र में नियमानुसार भ्रमण के उपरान्त समय अवशेष रहता है, का उपयोग नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम के रूप में किया जाये।
- शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग से समन्वयक स्थापित कर नगरीय स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्र का डाटा एकत्रित करते हुए अंतर्विभागीय सहयोग से नगरीय स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के भ्रमण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 का माइक्रोप्लान तैयार कर लिया जाए।
- नगरीय क्षेत्र के स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में टीम के भ्रमण हेतु उनके पास पूर्व से उपलब्ध टैक्सी परमिट वाहन अथवा नियमानुसार क्षेत्रीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

- भ्रमण के दौरान चिन्हित 4डी का संदर्भन नगरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/जिला चिकित्सालय में करते हुए उनका प्रबंधन कराया जाना है।
- नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु सामान्य निर्देश-
 - प्रत्येक नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल (कक्षा 1 से 12 तक) का भ्रमण वर्ष में एक बार एवं आंगनवाड़ी केन्द्र का भ्रमण वर्ष में दो बार किया जाना है।
 - प्रत्येक टीम द्वारा प्रतिदिन 100-120 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है।
 - भ्रमण हेतु विजिविलिटी प्रोटोकॉल तथा जी0पी0एस0 युक्त टैक्सी परमिट वाहन एवं स्क्रीनिंग हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक (आर0बी0एस0के0 कार्ड, रजिस्टर, उपकरण, औषधियाँ) की व्यवस्था जनपदीय नोडल अधिकारी-आर0बी0एस0के0 के द्वारा सुनिश्चित की जानी है। इस हेतु डी0ई0आई0सी0 मैनेजर समन्वय स्थापित करेंगे।
 - नगरीय क्षेत्र में कार्यरत समस्त टीमों की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर डी0ई0आई0सी0 मैनेजर द्वारा एकत्रित कर राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरिलिखित निर्देशों के अनुसार जनपद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीया

 (डा0 पिकी जोवल)
 मिशन निदेशक
 तददिनांक

पृष्ठांकन: एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2024-25/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति एन0एच0एम0 उ0प्र0।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 को कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कराने हेतु।
5. निदेशक बाल विकास परियोजना उ0प्र0 को कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कराने हेतु।
6. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
8. राज्य नोडल अधिकारी-आर.बी.एस.के., परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 को निदेशालय स्तर से जनपदों को दिशा निर्देश प्रेषित कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक एवं समस्त महाप्रबंधक एस.पी.एम.यू.-एन.एच.एम उ0प्र0।
10. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के. उ0प्र0।
11. विभागाध्यक्ष, Neurotology unit, Department of Neurosurgery SGPGI लखनऊ।
12. विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग विभाग, के.जी.एम.यू. लखनऊ।
13. नोडल अधिकारी, पिडियाट्रिक कार्डियक यूनिट ए.एम.यू. अलीगढ़।
14. नोडल अधिकारी डी.ई.आई.सी. सी.ओ.ई. ए.एम.यू. अलीगढ़।
15. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक/लेखा प्रबंधक/डी.ई.आई.सी. मैनेजर एन.एच.एम. उ0प्र0।

(डा0 मनोज कुमार शुक्ल)
 महाप्रबंधक आर.बी.एस.के.